

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०—388/2018-18

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
११.११.२२	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>८.१२.२०२२</u> को उपस्थापित करें।	 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।
८.१२.२२	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित —श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u> </u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:— मौजा <u>महू</u> थाना नं० <u>333</u> खाता सं० <u>44</u> प्लॉट सं० <u>692</u> रकबा <u>०.१०३१</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u> </u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं० <u>I</u> के पृष्ठ सं० <u>25</u> पर जमाबंदी रैयत <u>बालगोविंद</u> <u>जाव बौरह</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में कागजात अनुमंडल पत्र पंजी-11
द्वारा दि. 01.01.2002 को
खतम किया गया 2002-03-30/2002-03-30
समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा...
मह मौजा नं० 333 खाता सं० 44 प्लॉट सं० 9631K
9631K रकबा 0.08, 0.02 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म — दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार...
साल्गीबिक साव कोरह के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 251 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 251 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामु, मंचाल इतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

अमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
आमो विद्द साव दो बन्धे साव दो राहु साव दो विष्णु साव दो रात्र साव दो हनु साव	महु	333	44	967/J	0.08	गौजिल्ला प्रा. फि. क.	-
पञ्चन हरगही साव				967/K	0.02		

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- वर्तमान में सक्रिय होती है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- 2002-2003

5. उक्त जामबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मियों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

जमाव्ही दर्ज कृत पाले पदा. अ
नाम फंती-॥ मे दर्ज नही है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

— NA —

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा -

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार)

यासु पंजी ए के परीक्षण के लिए
प्राधिकार कागज में "बद्धो. के.न.
30/2002-2003 अनुसूचित पदा.
हस्तरपुर के आरेखानुसार मंज
कायम किया गया" दर्ज है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक)

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

अंचल कार्यालय में उपलब्ध-चातु पंजी-...

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वांछित रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वांछित-खारिज / भू-उपस्थांतरण / नामांतरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाव सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

उत्तिष्ठित भूमि में जमागत के खता सं. 44 [लॉट सं. 963/1, 963/2 कुल रकबा 0.100] का मांग जालमोदिन सापेक्ष पिता हज्जाली खाव के नाम से फो. सं. 25/1 पर दर्ज है। भूमि मांगकर्ता खाते की है स्थितान जीर्णोद्धार अस्था में होने के कारण एंकोर का फिल्टर का पना नहीं हो सका। उक्त भूमि के मांग प्रपत्र क्रिये जाने का आधार चातु पंजी-ग के पेज परीक्षण के लिए अधिकार काल में 1 जून 2002-03 अद्यतन पदा. इन्टरपुर् के आदेशानुसार मांग प्रपत्र क्रिया गया "दर्ज" है। उक्त जून 2002-03 को अंचल कार्यालय सत्यतः हाता बंदोबस्ती पंजी से मिलान किया सही पाया। अंचल कार्यालय में बंदोबस्ती पाद का पंजी में संधारित होना पाया गया। भूमि पर मांगधारी का हवाल है। एसी स्थिति में इस पाद अभिलेख पर Act 4(h) की अपवाद कता उचित उचित नहीं होता है। अतः उत्तिष्ठित अद्यतन अपवाद हेतु अप्रसारित।


H.N. 04

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच निम्न, अही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी पर B.L.R Act के नहत 4(h) का कारबाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।



अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, अनुमण्डल पदा., अपर समाहर्ता, उपायुक्त,
छत्तरपुर। छत्तरपुर। छत्तरपुर। पलामू। पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- ^{वाल्मोखिह साव को बल्देव साव को रजत साव को विष्णु साव को पांचु साव को कद साव वाहन दशमी साव}
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं: 25 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
मनहु	333	44	967/J	0.08
			967/K	0.02

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II में जमाबंदी कायम वर्ष 2002-2003 दर्ज है
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- ^{अमरनाथ भास्कर}
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- ^{पंजी II में प्राधिकार भास्कर में अनुमति पत्रा-6 त्रपुर के आदेशानुसार दर्ज है}
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार ^{पंजी II के प्राधिकार भास्कर में "कदो के नं. 30/2002-03 अनुमति पत्रा-6 त्रपुर के आदेशानुसार दर्ज है"}
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- ^{अपने कार्यालय में उपलब्ध चालु पंजी-II से}

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	479465.9	20/07/2010	2010-11

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अमिलेख सं० 388 / 20¹⁷⁻¹⁸ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

नाम बालगोविन्द सावन्त

पिता - दन्नाबाई सावन्त

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा मन्हे थाना नं० 333 खाता सं० 44 खेसरा नं० 692/1, 692/10 रकबा 10 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 111 के पंजी-II भाग 5 के पृष्ठ 25 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

बालगोविन्द सावन्त

इसे सख्त ताकिद जाने।

24.12.2022

